


मोटर दुर्घटना मुआवजा

प्रस्तावना

आर्थिक या अन्य अयोग्यताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता। समाज के प्रत्येक कमजोर वर्ग को मुफ्त एवं उचित कानूनी सेवाएँ प्रदान करने के लिए विधिक सेवाएँ प्राधिकरण अधिनियम, 1987 बनाया गया है, जिसके अन्तर्गत राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण का गठन किया गया है। न्याय केवल न्यायालयों में लंबितवादों तक सीमित नहीं है। कानूनी जागरूकता व साक्षरता, विधिक सहायता के स्तम्भ हैं। हरियाणा राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण (हालसा) कानूनी जागरूकता व साक्षरता के लिए प्रयासरत है। हालसा द्वारा राज्य के विभिन्न गांवों में विधिक सहायता क्लीनिक स्थापित किये गये हैं, जिनमें पराविधिक स्वयं सेवक व पैनल के वकील विधिक सहायता प्रदान करते हैं। इसके ईलावा हालसा द्वारा कानूनी जागरूकता व साक्षरता अभियान चलाया हुआ है। आम लोगों तक कानूनी ज्ञान पहुंचाने के लिए हालसा द्वारा सरल भाषा में विभिन्न विषयों पर पुस्तिकाएँ छपवाई गई हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति कानूनी ज्ञान से वंचित न रह सके व अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग कर सके। यह पुस्तिका उन्हीं में से एक है। अब तक हालसा 1,35,000 कानूनी ज्ञान की पुस्तिकाएँ आम लोगों में बंटवा चुका है। इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुये अब हालसा 27,00,000 सरल भाषा में कानूनी ज्ञान की पुस्तिकाएँ छपवा कर ग्रामीण व मलिन बस्तियों के लोगों को कानूनी अधिकारों बारे जागरूक करने जा रहा है। आशा है कि यह पुस्तिका आप सब के लिए उपयोगी होगी व आपके कानूनी ज्ञान के लिए मार्गदर्शिका बनेगी।

दिनांक: 1.1.2012


(दीपक गुप्ता)
सदस्य सचिव

मोटर दुर्घटना क्या है ?

कोई भी वाहन जो किसी मशीनी (Mechanical) शक्ति से चलाया जाये और उसे सड़क पर चलाये जाने के योग्य बना लिया जाये, मोटर वाहन कहलाता है। इस प्रकार बस, ट्रक, सड़क कूटने वाला रोलर, कार, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, मोपेड आदि मोटर वाहन की श्रेणी में आते हैं और इन वाहनों द्वारा सड़क पर चलते हुये अथवा खड़े किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा अन्य किसी वाहन में सीधे या अन्य किसी प्रकार से टक्कर हो जाती है तो उसे मोटर दुर्घटना कहा जाता है।

जब कभी कोई मोटर दुर्घटना हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए ?

- सबसे पहले पीड़ित को जल्द से जल्द डॉक्टरी सहायता यानि चिकित्सा देनी चाहिए। जिस वाहन के द्वारा दुर्घटना हुई हो उसके चालक को चाहिए कि वह उसे चिकित्सक के पास या अस्पताल में अवश्य ले जाए। डॉक्टर व अस्पताल वालों को चाहिए कि वे तुरन्त उसका उपचार करें। लिखा-पढ़ी बाद में करें। यह कानूनन जरूरी है।
- जितनी जल्दी हो सके थाने में **शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट** (एफ. आई.आर.) दर्ज करानी चाहिए। इसकी नकल जरूर लें। अगर पीड़ित व्यक्ति शिकायत दर्ज कराने की स्थिति में नहीं है तो कोई अन्य व्यक्ति उसकी ओर से ऐसा कर सकता है। चालक को भी दुर्घटना की सूचना पुलिस को अवश्य देनी चाहिए।
- चालक ने दण्डनीय अपराध किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के दर्ज हो जाने के बाद चालक के खिलाफ **फौजदारी मुकदमा** भी चलाया जाएगा।
- पीड़ित व्यक्ति को चालक द्वारा कोई हानि या अन्य क्षति भी पहुंच सकती है। इस हानि व क्षति के लिए पीड़ित व्यक्ति पैसे के रूप में **मुआवजा** पाने का अधि होता है। इसके लिए पीड़ित को मोटर दुर्घटनाओं के लिये स्थापित की गई विशेष अदालत में दावा डालना होगा। इसे “मोटर

ऐक्सीडेंट ट्रायब्यूनल” कहते हैं। आमतौर पर यह ट्रायब्यूनल वहीं स्थित होती है जहाँ जिला अदालतें होती हैं।

ये सब बातें मोटर वाहन अधिनियम 1939 में दी गई हैं।

मुआवजा प्राप्ति का अधिकार -

प्रत्येक दुर्घटना से जब किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचती है तो विधि के अनुसार उसे क्षति पहुंचाने वाले व्यक्ति से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है। इस प्रकार मोटर दुर्घटना सम्बन्धी सभी मामलों में पीड़ित व्यक्ति अथवा पीड़ित परिवार मोटर वाहन अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है।

कितना मुआवजा दिया जाता है ?

मुआवजे की कोई निश्चित राशि तय नहीं की गई है। मुआवजा प्रत्येक केस पर निर्भर करता है। मुआवजे की राशि तय करने के लिए अदालतें बहुत सी बातों को ध्यान में रखती हैं।

- **असावधानी** - यानि, किसकी गलती थी।

अगर दुर्घटना के घटित होने में पीड़ित व्यक्ति की असावधानी एवं गलती का भी हाथ रहता है तो मुआवजे की राशि कम हो जाती है। इस **सहायक दोष** कहते हैं। जैसे, ब्रेक सही न होना, पीड़ित व्यक्ति का बस की छत पर यात्रा करना या पीड़ित व्यक्ति की यातायात सम्बन्धी

बतियों का पालन न करना या सड़क की गलत दिशा में गाड़ी चलाना।

- **हानि**, यानि कितना नुकसान हुआ या क्षति दो प्रकार की हो सकती है।

शारीरिक या मानसिक

□ सम्पत्ति से संबंधित

हर एक मुकद्दमें में सभी बातें मौजूद हों ऐसा जरूरी नहीं है। सभी श्रेणियों के नुकसान को ध्यान में रखते हुए अदालतें मुआवज़े की कुल राशि तय करती हैं।

- शारीरिक या मानसिक क्षति पीड़ित व्यक्ति की वर्तमान एवं भविष्य में कमाने की क्षमता में कमी। यह कई बातों पर निर्भर करता है :
- दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति को **किस प्रकार की चोट** पहुंची है।

अगर किसी व्यक्ति के पैर की छोटी अंगुली कट जाती है तो उसे उस व्यक्ति की तुलना में कम पैसा मिलेगा जिसका पूरा हाथ ही कट गया हो। हाथ कट जाने से काम करने की और कमाने की क्षमता बहुत कम हो जाती है जबकि पैर की अंगुली कट जाने पर ऐसा नहीं होता।

- पीड़ित व्यक्ति की आयु
- पीड़ित व्यक्ति की आय
- पीड़ित या मरने वाले व्यक्ति के उपर कितने लोग निर्भर करते हैं।
- पीड़ित के इलाज के लिए चिकित्सा सम्बन्धी खर्च
- सामान्य क्षतिपूर्ति

□ पीड़ा एवं दुःख : चोट लगने के कारण पीड़ित व्यक्ति एवं उसके रिश्तेदारों को जो मानसिक पीड़ा एवं दुःख होता है उसके लिए उन्हें यह पैसा दिया जाता है जैसे - अपने बच्चे की मृत्यु हो जाने पर एक माता की मानसिक पीड़ा एवं दुःख।

- जीवन में आनन्द की कमी : जैसे कि चलने या दौड़ने में असमर्थ होना, शादी की सम्भावना कम होना और पति एवं पत्नी की संगति का अभाव।

सम्पत्ति को होने वाली क्षति

ओमप्रकाश हरियाणा की एक सिंचाई नहर के निर्माण कार्य में श्रमिक था। वह 30 रुपये प्रतिदिन कमाता था। उसकी पत्नी शान्ति भी 25 रुपये प्रतिदिन कमाती थी। एक दिन एक बस ने ओमप्रकाश को टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया, ओमप्रकाश को बहुत चोटें आईं। उसकी एक बाजू और कुछ पसलियां टूट गईं। वह डेढ़ महीने तक काम पर नहीं जा सका। ओमप्रकाश को अस्पताल में भी अकेले नहीं छोड़ा जा सकता था। उसकी पत्नी शान्ति को अस्पताल में उसकी देखभाल करनी पड़ी। इसलिए वह काम पर नहीं जा सकती थी। अस्पताल छोड़ने के बाद भी ओमप्रकाश को सप्ताह में एक बार जांच करवाने जाना पड़ता था।

ओमप्रकाश को कितना मुआवजा मिलेगा ?

उसको मिलने वाले मुआवजे का हिसाब निम्न प्रकार से लगाया जा सकता है :

30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ओमप्रकाश की तीन महीने की

आमदनी का नुकसान, 90×30 = 2,700 रुपये

25 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से शान्ति की 45 दिन की

आमदनी का नुकसान, 45×25 = 1,125 रुपये

चिकित्सा सम्बन्धी खर्चा (अस्पताल में रहने का

और दवाईयों का खर्चा) = 3,500 रुपये

अस्पताल में आने-जाने का खर्चा = 2,000 रुपये

पीड़ा एवं दुःख	=	3,500 रूपये

कुल	=	3,500 रूपये

ओमप्रकाश को मुआवजे के रूप में 12,825 मिलेंगे।		

मुआवजा पाने का अधिकारी कौन है ?

जिसे भी किसी दूसरे के मोटर वाहन के प्रयोग से किसी भी प्रकार की हानि पहुंचे उसे मुआवजा मिलेगा। हानि मतलब शारीरिक चोट या सम्पत्ति को नुकसान। दुर्घटना के कारण अगर किसी की मृत्यु हो जाए, तो उसके वारिसों को मुआवजा मिलेगा।

क्या चेहरा कुरूप हो जाने के कारण मुआवजा मिलेगा ?

हाँ, चेहरे की कुरूपता भी एक चोट है और इसके लिए चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। कभी-कभी इसके कारण काम मिलना, शादी होना इत्यादि मुश्किल हो जाता है। इसलिए मुआवजा मिलेगा।

क्या मृत्यु के लिए मुआवजा दिया जाएगा ?

हाँ। मोटर दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर दोषी को मुआवजा देना पड़ता है। मृत्यु से उसके कानूनी वारिसों को जो क्षति एवं हानि हुई है उसके लिए उन्हें मुआवजा मिलेगा।

कानूनी वारिस कौन हैं ?

जो लोग मृतक के स्थान पर मुआवजे का दावा कर सकते हैं वे कानूनी वारिस कहलाते हैं। आमतौर पर ये लोग मृतक पर आश्रित होते हैं यानि वे मरने वाले पर निर्भर थे।

एक पुरुष के कानूनी वारिस होंगे :

- उसके माता-पिता
- उसकी विधवा
- उसके बच्चे

एक स्त्री के कानूनी वारिस होंगे :

- पति
- बच्चे

वे लोग जो मृतक पर आश्रित नहीं हैं वह उसके कानूनी वारिस नहीं माने जाते। जैसे कि:

- बालिग पुत्र जो कमा रहा हो
- विवाहित पुत्रियां
- विधवा जो पुनर्विवाह कर ले

मुआवजा कौन देगा

मुआवजा भुगतान का उत्तरदायित्व -

दुर्घटना में हुई क्षति के लिये मुआवजा के भुगतान का प्राथमिक दायित्व दुर्घटना करने वाले वाहन के स्वामी अथवा चालक का होता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146 के अन्तर्गत परपक्ष (Third Party) बीमा पालिसी प्राप्त करना अनिवार्य है और यदि किसी वाहन स्वामी द्वारा परपक्ष बीमा पालिसी प्राप्त किये बिना मोटर वाहन सार्वजनिक सड़क पर चलाया जाता है तो वह अधिनियम धारा 196 के अन्तर्गत दण्डनीय है। वाहन का परपक्ष बीमा होने की दशा में प्रतिकर के भुगतान का दायित्व बीमा पालिसी की शर्तों के अनुसार वाहन स्वामी के बजाय सम्बन्धित बीमा कम्पनी का हो जाता है।

पप्पू एक स्कूटर चला रहा था और उसने चाची को टक्कर मार दी। चाची की आँख की रोशनी चली गई। पप्पू ने कुछ भी पैसे देने से मना कर दिया। उसका कहना है कि वह केवल 2,000/- रुपये महीना कमाता है और उसके पास चाची को देने के लिए पैसे भी नहीं हैं।

अगर पप्पू के स्कूटर का बीमा हुआ है तो बीमा कम्पनी को पप्पू की ओर से मुआवजे का पैसा देना ही पड़ेगा। अगर बीमा नहीं कराया गया तो पप्पू को चाची का स्वयं ही पैसा देना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करता तो अदालत उसकी सम्पत्ति को कुर्क करवा सकती है। अगर पप्पू के पास कोई सम्पत्ति नहीं है तो उसे जेल जाना पड़ेगा।

यदि दुर्घटना करने वाले वाहन का विवरण मालूम न हो- (Hit & Run Motor Accidents)

कुछ ऐसे मोटर वाहन भी होते हैं जिनके चालक दुर्घटना के पश्चात वाहन को तुरन्त भगा ले जाते हैं और यह पता नहीं चल पाता है कि दुर्घटना किस वाहन से हुई और परिणामस्वरूप वाहन स्वामी और बीमा पालिसी के विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती। ऐसी दुर्घटना के लिए भारत सरकार द्वारा तोषण निधि योजना, 1989 (Solatium Scheme, 1989) बनायी गयी है। इस योजना के अन्तर्गत दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु होने की दशा में मृतक के आश्रितों को रु० 25,000/- और गम्भीर रूप से घायल व्यक्ति को रु० 12,500/- प्रतिकर के

रूप में दिलाये जाने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित पीड़ित व्यक्ति/मृतक के आश्रितों द्वारा दुर्घटना के छः माह के भीतर निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना-पत्र अधिकृत जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने आवश्यक है।

यदि दुर्घटना करने वाले वाहन का विवरण ज्ञात हो -

यदि दुर्घटना करने वाले वाहन का विवरण ज्ञात हो या हो सके तो ऐसी स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत गठित सम्बन्धित मोटर दुर्घटना क्लेमस ट्रिब्यूनल के समक्ष मोटर वाहन स्वामी, वाहन चालक और सम्बन्धित बीमा कम्पनी के विरुद्ध प्रतिकर वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा वाद केवल ₹० 10/- की कोर्ट फीस टिकट लगाकर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। यह वाद जिस जनपद में दुर्घटना हुई हो उस जनपद में गठित अधिकरण या उस जनपद में जहां वाद प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति रहता हो अथवा व्यवसाय करता हो, प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रतिकर वाद ऐसे जनपद में भी किया जाता है जिसकी सीमा में दूसरा पक्ष (वाहन स्वामी) निवास करता हो। मोटर यान अधिनियम में वर्ष 1994 में हुये संशोधन के अनुसार प्रतिकर वाद को सम्बन्धित प्रतिकर अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। परन्तु स्वयं पीड़ित व्यक्ति और परिवार के हित में है कि दुर्घटना के शीघ्र बाद ही प्रतिकर वाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

प्रतिकर वाद में प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेख एवं विवरण -

प्रतिकर वाद को सफलतापूर्वक सिद्ध करने के लिये यह आवश्यक है कि निम्नलिखित अभिलेखों एवं विवरण को प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाये :-

- 1-प्रार्थीगण का नाम, पिता का नाम, पूरा पता, उम्र और व्यवसाय।
- 2-दुर्घटना कारित करने वाले वाहन स्वामी व चालक का नाम व पता।
- 3-दुर्घटना कारित करने वाला वाहन जिस बीमा कम्पनी से बीमाकृत हो, उसका नाम, पता तथा बीमा पालिसी की प्रतिलिपि।
- 4-दुर्घटना कारित करने वाले वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो प्रतिलिपि।

- 5-दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की फोटो प्रतिलिपि।
- 6-दुर्घटना की तारीख,समय व स्थान।
- 7-प्रत्येक प्रार्थीगण का मृतक से सम्बन्ध (यदि दुर्घटना में मृत्यु हुई हो)।
- 8-मृतक की आयु, आय तथा आश्रितों के नाम, पते एवं मृतक से सम्बन्ध।
- 9-दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की चोटों की प्रकृति एवं इंजरी रिपोर्ट (Injury Report) एवं मृत्यु की दशा में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फोटो प्रतिलिपि।
- 10-मांगी गयी प्रतिकर की धनराशि और उसके लिये उपयुक्त आधार।

ढांचागत पद्धति के आधार पर मुआवजा -

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 163-क में यह विशेष प्राविधान किया गया है कि दावाकर्ता को अपनी याचिका में यह प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मोटर दुर्घटना करने वाले वाहन के चालक की कोई गलती थी अथवा नहीं और इस प्राविधान में यह मानकार प्रतिकर की राशि निश्चित की गई है कि दुर्घटना में दूसरे पक्ष की ही गलती थी। इस तालिका में प्रतिकर की राशि मृत व्यक्ति की आयु तथा आय को ध्यान में रखते हुए निश्चित की गई है और इसके लिए सुविधा की दृष्टि से एक तालिका (संलग्नक-3) में विभिन्न आयु के व्यक्तियों की मोटर दुर्घटना में मृत्यु होने पर देय प्रतिकर की धनराशि दर्शायी गयी है जिसके अनुसार प्रतिकर निर्धारण किया जाता है। प्रतिकर से संबंधित सामान्य प्राविधान उक्त अधिनियम की धारा 168 में किया गया है।

अपील करने के लिए समय सीमा -

मोटर दुर्घटना क्लेमस ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की 90 दिन की अवधि निर्धारित है और प्रमाणित व कारण दिखाने पर निर्धारित समय के बाद भी उच्च न्यायालय की अनुमति से अपील प्रस्तुत की जा सकती है।

क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा आदेशित मुआवजा कैसे प्राप्त करें -

क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा आदेशित मुआवजा की धनराशि यदि संबंधित पक्षकार द्वारा निर्धारित अवधि में प्रदान नहीं की जाती है तो परिवादी द्वारा संबंधित ट्रिब्यूनल में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जाता है।

निशुल्क विधिक सेवायें -

मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद दायर करने हेतु निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध है। प्रत्येक जिले के न्यायिक परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गयी है तथा निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव (न्यायिक अधिकारी) से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। अगर मोटर दुर्घटना प्रतिकर से संबंधित कोई अपील उच्च न्यायालय में लंबित है तो हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सेवा समिति चन्डीगढ़ से सम्पर्क किया जा सकता है।

लोक अदालतों का उपयोगी फोरम -

पिछले दस वर्षों से अधिक समय से प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों का एक भारी भाग लोक अदालतों के माध्यम से निस्तारित कराया जा रहा है। उच्च न्यायालय के समक्ष मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों से सम्बन्धित लम्बित अपीलों का भी निस्तारण लोक अदालतों के माध्यम से कराया जाता है। यह सर्वविदित है कि जो मामले लोक अदालतों के माध्यम से तय हो जाते हैं उनमें अपील, रिविजन या इजराय की कार्यवाहियों से बचत होती है और वादकारियों को शीघ्र और कम खर्च पर प्रतिकर की धनराशि मिल जाती है। यह व्यवस्था स्वयं वादकारियों के हित में है कि वे लोक अदालतों के आयोजन से लाभ उठायें। यदि कोई व्यक्ति प्रतिकर से संबंधित अपना वाद/अपील लोक अदालत के माध्यम से तय कराना चाहता है तो इस आशय की सूचना संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव या हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, के सदस्य सचिव को देते हुए अनुरोध कर सकता है ताकि उस मामले को आगामी आयोजित की जाने वाली लोक अदालत में समझौता वार्ता के लिए रखा जा सके।